न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 65/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/129)

1. घासी राम पुत्र कजोडराम
2. राजेन्द्र पुत्र कजोडराम
3. सुनील पुत्र कजोडराम
4. रामबाई पत्नि स्व0 कजोडराम
5. कान्ता पुत्री कजोडराम
6. गीता पुत्री कजोडराम

कौम बैरवा निवासी भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र मूल्या
2. बाबूलाल पुत्र मूल्या
3. रामहेत पुत्र मूल्या
4. किशन्या पुत्र मूल्या
5. रविन्द्र उर्फ कालू पुत्र किशोरया पोत्र मूल्या नाबालिगान जरिये वली माता उगन्ती पत्नि स्व0 किशोरया
6. रोशन पुत्र किशोरया
7. जितेन्द्र पुत्र किशोरया
8. उगन्ती पत्नि स्व0 किशोरया

समस्त जाति बैरवा निवासी भडंग्यावास तहसील सिकराय, जिला दौसा।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय,जिला दौसा राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा निर्णय दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 बाबत् रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली संख्या 2/2018 उनवानी कजोड बनाम सोहनलाल में तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 263 व 200 ग्राम भडंग्यावास तहसील सिकराय को खारिज करने का निर्णय दिनांक 30.12.2019 को पारित कर दिनांक 11.02.2020 को नामान्तरकरण कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय पारित किया है तथा जिनकी पालना में तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 30.12.2019 को नामान्तरकरण संख्या 263 व 200 ग्राम भडंग्यावास तहसील सिकराय निरस्त किये है।

उपस्थित :–

1. श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से।

अपील संख्या 64/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/130)

1. घासी राम पुत्र कजोडराम
2. राजेन्द्र पुत्र कजोडराम
3. सुनील पुत्र कजोडराम
4. रामबाई पत्नि स्व0 कजोडराम
5. कान्ता पुत्री कजोडराम
6. गीता पुत्री कजोडराम

कौम बैरवा निवासी भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र मूल्या
2. बाबूलाल पुत्र मूल्या
3. रामहेत पुत्र मूल्या
4. किशन्या पुत्र मूल्या
5. रविन्द्र उर्फ कालू पुत्र किशोरया पोत्र मूल्या नाबालिगान जरिये वली माता उगन्ती पत्नि स्व0 किशोरया
6. रोशन पुत्र किशोरया
7. जितेन्द्र पुत्र किशोरया
8. उगन्ती पत्नि स्व0 किशोरया
   समस्त जाति बैरवा निवासी भडंग्यावास तहसील सिकराय, जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय,जिला दौसा राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा निर्णय दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 बाबत् रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली संख्या 2/2018 उनवानी कजोड बनाम सोहनलाल में तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 263 व 200 ग्राम भडंग्यावास तहसील सिकराय को खारिज करने का निर्णय दिनांक 30.12.2019 को पारित कर दिनांक 11.02.2020 को नामान्तरकरण कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय पारित किया है तथा जिनकी पालना में तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 30.12.2019 को नामान्तरकरण संख्या 263 व 200 ग्राम भडंग्यावास तहसील सिकराय निरस्त किये है।

उपस्थित :–

1. श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—17.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 17.08.2021 को प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट के पिता श्री कजोडराम पुत्र लक्ष्मण ने अपील संख्या 50/2011 उनवानी कजोड बनाम सोहनलाल उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई। तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2017 की पालना में अपने निर्णय दिनांक 30.12.2019 द्वारा नामान्तकरण संख्या 200 को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का को जमाबंदी में इन्द्राज हेतु निर्देशित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

   न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने प्रकरण संख्या 44/2011 उनवानी मनकी बनाम बाबूलाल निर्णय दिनांक 12.12.2017 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा निर्णय दिनांक 29.08.2011 एवं नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 08.06.1996 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक मूल्या की विरासत के नामान्तकरण संख्या 200 के प्रकरण के साथ इस प्रकरण में भी उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2017 की पालना में अपने निर्णय दिनांक 11.02.2020 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि " न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर प्रकरण संख्या 44/2011 के निर्णय की पालना में ग्राम भडंग्यावास का नामान्तकरण संख्या 263 निर्णय दिनांक 08.06.1996 को खारिज किया जाता है। प्रकरण में मनकी बनाम बाबूलाल प्रकरण संख्या 16/2007 टी आई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए मनकी बनाम बाबूलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण में न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 200 व 263 खारिज किया जा चुका है" के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट घासीराम पुत्र कजोडराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा का निर्णय दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नंबर 39/4 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसमें विक्रेतागण को प्रतिफल राशि अदा कर अपीलान्ट के पिता ने 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की है। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट के पिता कजोडराम पुत्र लक्ष्मण बैरवा के हक में उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 263 दिनांक 08.06.96 ग्राम भडंग्यावास, तहसील सिकराय खोल दिया गया तथा विक्रेतागण के नाम मूल्या की विरासत से जो भूमि आई थी व नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 08.12.88 ग्राम भडंग्यावास, तहसील सिकराय के जरिये आई थी। इन दोनों नामान्तरकरण संख्या 200 व 263 के विरूद्ध न्यायालय हाजा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां अपील उनवानी कजोडराम बनाम सोहनलाल अपील संख्या 50/2011 व अपील मनकी बनाम बाबूलाल न्यायालय हाजा से दिनांक 12.12.2017 को निर्णित होकर उक्त दोनों नामान्तरकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये कि उभय पक्षकारान के साक्ष्य सबूत लिये जाकर पुनः निर्णय पारित करे। इसी दौरान पुर्व से एक दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मनकी बनाम बाबूलाल प्रार्थना पत्र टी.आई. मुकदमा नंबर 60/2018 लंबित है जिसमें विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2019 को जारी करके न्यायालय उप जिला कलेक्टर सिकराय ने दिनांक 09.12.2019 को उक्त टी.आई. कनफर्म कर दी अर्थात दिनांक 18.10.2019 से लगातार स्टे जारी है व स्टे कनफर्म हो चुका है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 39/4 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम भडंग्यावास, तहसील सिकराय के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे। दावा अभी लंबित है। उक्त स्टे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के यहां उक्त रिमाण्ड पत्रावली में पेश भी कर दिया तथा सोहनलाल को भी उक्त स्टे की पूर्ण जानकारी है। दिनांक 17.01.2020 की आदेशिका में भी उक्त स्टे दर्ज है। रिमाण्ड पत्रावली पर स्टे पेश करने के बावजूद भी तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 30.12.2019 को अपीलान्ट का नामान्तरकरण निरस्त करने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय/आदेश पारित कर दिया एवं दिनांक 11.02.2020 को उक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या 263 व 200 निरस्त कर दिये तथा दिनांक 11.02.2020 को आदेश पारित करके नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रोसेडिंग स्थगित तहसीलादर सिकराय ने यह कहते हुए कर दी कि उक्त भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां से मनकी बनाम बाबूलाल में स्टे जारी है। ऐसी स्थिति में सुनवाई नहीं की जा सकती।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय की अदालत से प्रकरण मनकी बनाम बाबूलाल में तो काफी पहले से ही विवादित भूमि के संबंध में स्टे था। उक्त दोनों नामान्तरकरण भी भूमि खसरा नंबर 39/4 ग्राम भडंग्यावास के संबंध में है तथा स्टे भी भूमि खसरा नंबर 39/4 का है। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने स्टे होने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 200 व 263 को दिनांक 30.12.19 को निरस्त कर दिये व निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया इसके पश्चात जमाबन्दी में भी उक्त भूमि पर खातेदारी परिवर्तन कर दी एवं जमाबन्दी में रिमाण्ड का भी हवाला नहीं दिया बल्कि पूर्व खातेदार मूल्या का नाम दर्ज कर दिया। कानूनन उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रंखने का स्टे था और है इसके बावजूद भी तहसीलदार सिकराय ने विपक्षीगण से साजकर के रिश्वतखोरी मचाकर के मनमाने तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये है। जबकि स्टे में स्टे की पालना कराया जाना आवश्यक था। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.2020 को यह आदेश पारित कर दिया कि उक्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी का स्टे है ऐसी स्थिति में रिमाण्ड नामान्तरकरण की कार्यवाही की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई रोकने के लिए तो अधीनस्थ न्यायालय ने स्टे को मान लिया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व नामान्तरकरण निरस्त करने के लिए व आदेश दिनांक 30.12.2019 पारित करने के लिए तहसीलदार सिकराय ने स्टे नहीं माना। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिकराय का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार पनपाने व अनैतिक कार्य करने व कानून की अवहेलना करने एवं मनमाना कार्य करने की श्रेणी में आता है। अब स्टे के बावजूद भी अपीलान्ट का नामान्तरकरण निरस्त कर दिया व जमाबन्दी में उक्त भूमि पूर्व खातेदार मूल्या के नाम दर्ज कर दी व जमाबन्दी में रिमाण्ड का भी हवाला दर्ज नहीं किया तथा अब रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली की भी कार्यवाही स्थगित कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के साथ घौर अन्याय हो रहा है। अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन स्टे के बावजूद व स्टे के प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 200 व 263 पर निरस्त का नोट अंकित नहीं किया जा सकता तथा स्टे के बावजूद जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता कजोडराम वगै० का नाम हटाकर पूर्व खातेदार मूल्या का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। तथा जमाबन्दी में पटवारी हल्का ने रिमाण्ड का अंकन तक दर्ज नहीं किया। ऐसी स्थिति में मरे हुए मूल्या का नाम जमाबन्दी में गलत रूप से दर्ज किया है। तहसीलदार सिकराय व पटवारी हल्का ने स्टे व कानून की खुलेआम अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट्स के पिता व अपीलान्ट्स को बिना सुने एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं न्यायालय के स्टे के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पिछले काफी समय से कोराना काल भी चल रहा है तथा अपीलान्ट के पिता काफी समय से बीमार होने से अपीलान्ट उनके ईलाज में लगे रहे अब उनका देहान्त हो गया। अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने अपीलान्ट से दिनांक 08.07.2021 को कहा कि मैंने तुम्हारा नामान्तरकरण स्टे के बावजूद भी निरस्त करा दिया तथा जमाबन्दी में स्टे के बावजूद भी मेरे मरे हुए पिता मूल्या का नाम दर्ज करा दिया। अब तुम्हें करना हो सो करों तुम्हें जबरन कब्जे से बेदखल करूंगा तो अपीलान्ट ने तहसील में जाकर मालूम किया तो सर्वप्रथम दिनांक 08.07.2021 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल मिलने पर व नकल मिलने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

समय भराउ लेकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। ऐसे शून्य व प्रभावहीन आदेश के लिए कानून में कोई मियाद नियत नहीं है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 निरस्त फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 200 व 263 ग्राम भडंग्यावास पर स्टे के बावजूद लगाये गये निरस्त के नोट को हटाये जाने के आदेश एवं जमाबन्दी में स्टे के बावजूद अपीलान्ट के पिता का नाम हटाकर जो मृतक मूल्या का नाम दर्ज किया है उस इन्द्राज को हटाने के आदेश एवं अपीलान्ट के पिता का नाम जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 व 11.02.2020 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किंया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.07.2021 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पिता कजोडराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष एक अपील संख्या 50/2011 उनवानी कजोडराम बनाम सोहनलाल विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी और एक अपील मूल्या की पत्नि व उसके पुत्र सोहनलाल ने अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2017 द्वारा अपीलान्ट्स के पिता कजोडराम की अपील संख्या 50/2011 उनवानी कजोडराम बनाम सोहनलाल खारिज की गयी थी तथा अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 29.08.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.9.96 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 200 के प्रकरण के साथ ही प्रकरण में भी उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था। तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2019 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा का आदेश दिनांक 5.9.2011 द्वारा मूल्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.1988 निरस्त कर प्रकरण सभी पक्षों की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिमाण्ड किये जाने को उचित माना जाकर. अपील संख्या 50/2011 कजोडराम बनाम सोहन लाल खारिज की गयी थी की पालना में नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.1988 निरस्त किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2017 द्वारा अपील संख्या 44/2011 उनवानी मनकी बनाम बाबू लाल आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा का आदेश दिनांक 29.08.2011 एवं नामान्तरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.1996 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक मूल्या की विरासत के नामान्रकरण संख्या 200 के प्रकरण के साथ ही इस प्रकरण में भी उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने की पालना में तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2020 द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के प्रकरण संख्या 44/2011 के निर्णय की पालना में ग्राम भडग्यावास का नामान्तकरण संख्या 263 निर्णय दिनांक 8.6.1996 को खारिज किया जाता है। प्रकरण में मनकी बनाम बाबूलाल प्रकरण संख्या 16/2007 टी.आई. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये मनकी बनाम बाबूलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाना उचित नहीं है। प्रकरण में न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 200 व 263 खारिज किया जा चुका है।

हमारा विनम्र मत है कि खरीदारान के हक व अधिकार को इन्तकाल की कार्यवाही में समाप्त नहीं किया जा सकते हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। पक्षकारों के मध्य एक वाद उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा जब तक सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट्स के जो भी अधिकार तय होने है वे दावे में ही तय हो सकते हैं। दावे में अधिकार तय होने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा नामान्तरकरण में कार्यवाही की जा सकती है। तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा द्वारा यद्यपि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.02.2017 की पालना की गयी किन्तु उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के प्रकरण संख्या 16/2007 टी.आई. उनवानी मनकी बनाम बाबूलाल में स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाने के बाद भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 एवं 11.02.2020 पारित कर राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं 11.02.2020 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 एवं 11.02.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के प्रकरण संख्या 16/2007 टी.आई. उनवानी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मनकी बनाम बाबूलाल के स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति एवं पक्षकारों के मध्य वाद उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन दावे की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर निर्णयानुसार कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। समस्त पक्षकारान् अपना पक्ष विचाराधीन दावे में प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

अतः आदेश है कि –अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं 11.02.2020 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 एवं 11.02.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के प्रकरण संख्या 16/2007 टी.आई. उनवानी मनकी बनाम बाबूलाल के स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति एवं पक्षकारों के मध्य वाद उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन दावे की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर निर्णयानुसार कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। समस्त पक्षकारान् अपना पक्ष विचाराधीन दावे में प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

(दीप्ति कच्छवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर